

# उद्यम सृजन और संवर्द्धन के माध्यम से वित्तीय समावेशन



## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं को ऋण

- अनुसूचित वाणिज्य बैंक की प्रत्येक शाखा को कम से कम दो व्यक्तियों को ऋण देना है (एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला उधारकर्ता के नए उद्यम के लिए)
- 17000 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों की सुविधा उपलब्ध है।
- ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के बैंक ऋण उपलब्ध
- विनिर्माण/व्यापार/सेवाओं के लिए ऋण
- किसी बैंक से संपर्क करें या वेबसाइट [www.standupmitra.in](http://www.standupmitra.in) पर आवेदन करें।



## नए/ मौजूदा उद्यमों को ऋण 10 लाख तक

₹10 लाख तक के ऋण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/अल्पवित्त संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के माध्यम से दिए जाते हैं

- शिशु – ₹50000 तक
- किशोर – ₹50000 से ₹5 लाख तक
- तरुण – ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
- विनिर्माण/व्यापार/सेवाओं के लिए ऋण

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूति  
(Collateral Security) से मुक्त ऋण



मुद्रा एवं एमएसएमई ऋण के लिए आवेदन सर्वव्यापी (यूनिवर्सल)  
उद्यम ऋण पोर्टल [www.udyamimitra.in](http://www.udyamimitra.in) पर आवेदन करें